(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 04/2020

बउनवान

रामकल्याण पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारॉं

(प्रार्थी)

बनाम

रामचन्द्र पुत्र स्व0 बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारॉं

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

उपस्थितिः 1. श्री बालमुकन्द गुर्जर अभिभाषक (प्रार्थी)

2. अनुपस्थित (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 22.03.2021

प्रार्थी द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी के पिता स्व0 बजरंगलाल पुत्र गौरीलाल जाति बैरवा के नाम ग्राम बमोरी तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 81 रकबा 0.37 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 622 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल 0.62 हैक्टेयर का आवंटन दिनांक 12.10.1995 को किया गया है। जिससे अप्रसन्न होकर आवंटन आदेश निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 17.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन आदेश तलब किया गया। जो इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, अटरू के पत्रांक 2171 दिनांक 08.10.2020 के संलग्न प्राप्त हुआ। अप्रार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा। प्रकरण में प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की जाकर प्रकरण में विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस को दोहराते हुये कथन किया कि भू–आवंटन आवंटन सलाहकार समिति बमोरी ने वाके माल बमोरी तह0 अटरू के खसरा नं0 81 रकबा 26 बीघा अपीलांट की दादी गंगाबाई बेवा धन्नालाल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.12.1963 को खरीद की गई थी। खरीदने के बाद से अपीलांट के पिता रामकरण पुत्र धूलीलाल काबिज काश्त रहा।

आवंटन कमेटी द्वारा भू–आवंटन नियम [illegible] (1) [illegible] प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए दिनांक 12.10.1995 को बिना आवंटन [illegible] र्तों का पालन [illegible] रते हुए साबिक खसरा नं0 81 के नये नम्बर 992/18, 993/81, 994/81, 995/81 कायम करते हुए भू–आवंटन हेतु [illegible] लब्ध भूमि का अकृषकों के नाम/रेस्पोडेन्ट के आवंटन कर गलत [illegible] री पर बिना मौके पर [illegible] दिये बगैर व आवंटन के बाद से काबिज काश्त नहीं होने के उपरान्त हीं रेस्पोडेन्ट के नाम आवंटन कर खाते में गलत तरीके से अमल दरामद कर आवंटन समिति द्वारा विधिक त्रुटि कायम कर अपीलांट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 16:28:07 IST
Reason: SelfAttested

विधिक अधिकारों का हनन किया गया है। इसलिए दिनांकित 12.10.1995 आवंटन आदेश खारिज किया जावें। अपीलांट द्वारा न्यायालय में अपील पेश करने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट उपस्थित नहीं है। अपीलांट ही आवंटित जमीन पर अपने पिता रामकरण के जीवन काल से आज तक यानि कि 40–50 वर्षों से वर्तमान समय तक काबिज काश्त है। इसलिए दिनांकित 12.10.1995 आवंटन को निरस्त फरमाते हुए अपीलांट के नाम आवंटित आराजी का बतौर खातेदार कृषक जमाबन्दी में नाम अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करें।

मेरे द्वारा प्रार्थी के अभिभाषक की अप्रार्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया जाकर मनन/विश्लेषण किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में वास्तविक तथ्यों को छिपाकर उक्त प्रार्थना–पत्र आवंटन आदेश दिनांक 12.10.1995 निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकरण में विवादित भूमि आवंटन के समय सीलिंग अधिग्रहित भूमि सिवायचक दर्ज थी।

उक्त न्यायिक दृष्टांतो के अनुसार आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र विधितः संधारणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। अप्रार्थी के पिता स्व0 बजरंगलाल पुत्र गौरीलाल जाति बैरवा निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां को किया गया आवंटन आदेश दि. 12.10.1995 यथावत रखा जाता है। यदि प्रार्थी असंतुष्ट है तो वह किसी भी सक्षम अदालत से अन्यथा नियमानुसार अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बाराँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 15:28:07 IST
Reason: SelfAttested